# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/ 9054 दिनांकः 05/10/2023

## कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा संख्या 48(II) "राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाये जायेंगे" के कियान्वयन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कमांक 6628 दिनांक 03.08.2023 द्वारा आवंटित में मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 3863 दिनांक 19.09.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार स्थापित किये जाने वाले पक्षी घर के स्थान में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

| बजट मद | मुख्य वन संरक्षक | उप वन संरक्षक | आवंटित बजट (राशि रू. लाखो में) | पूर्व में प्रस्तावित स्थान | संशोधित स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| **4406–02–111 –02–00–16 लघु निर्माण कार्य** | **अजमेर** | उप वन संरक्षक, टोंक | **87.00** | वर्ष 2022–23 में स्थापित लव कुश वाटिका | टोंक रेंज के लव कुश वाटिका दूधिया बालाजी के समीप |

**उक्त आंवटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा –निदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।**

1. उक्त आंवटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियिमतताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यो को यथाशीध्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.के. उपाध्याय)
**प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)**
**राजस्थान,जयपुर**

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/ 9055-61 दिनांकः 5/10/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक,अजमेर।
2. वित्तिय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक, टोंक।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा/रक्षी पत्रावली।

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)**
**राजस्थान,जयपुर**

D:\Users\USER\Desktop\Misc C 2023-24.docx